

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.  
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

अवर सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 26-02-19

विषय :- मांग संख्या-20 के अन्तर्गत बजट शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0016- मानसिक आरोग्यशाला, विपत्र कोड 20-2210011100016 अन्तर्गत (31-06) सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा इकाई में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में कुल ₹2,25,00,000/- (दो करोड़ पच्चीस लाख रू०) मात्र का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/ उपशीर्ष अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के राज्यादेश संख्या-152(7) दिनांक-21.02.19 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल ₹2,25,00,000/- (दो करोड़ पंचचीस लाख रू०) मात्र का आवंटन दी जाती है ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 2419 वि०(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि०(2) दिनांक-8.4.08, वित्त विभागीय पत्रांक-3388वि०(2) दिनांक 18.4.11, 3833 वि०(2) दिनांक-02.04.12, 4201 वि०(2) दिनांक- 18.04.12 एवं अद्यतन निर्गत परिपत्र में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।
3. व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-20 के अन्तर्गत बजट शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0016- मानसिक आरोग्यशाला, विपत्र कोड 20-2210011100016 अन्तर्गत (31-06) सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा इकाई में प्राप्त राशि से किया जायेगा ।
4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 बि(2) दिनांक 5.10.07 के आलोक में राशि निकासी के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
5. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, कोईलवर, भोजपुर को उपलब्ध करायेंगे ।
6. इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में 18 माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा सहायक अनुदान की स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी ।
7. आवंटित राशि से राज्यादेश में उल्लेखित निहित शर्तों एवं निदेश का अक्षरशः पालन कर ही व्यय सुनिश्चित कराया जाय ।
8. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(राधेश्याम साह)  
सरकार के विशेष सचिव

(क)

ज्ञापांक:- २३(१)९

पटना, दिनांक- 26-02-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव//लेखा शाखा (दोहरी प्रति में)/ निदेशक, राज्य मानसिक एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, कोईलवर, भोजपुर/ प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक/ आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध एवं आवंटन की स्थिति -

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
1	(31-04) सहायक अनुदान-वेतन इकाई	50000000	0	50000000
2	(31-06) सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा इकाई	100000000	22500000	77500000
	कुल	150000000	22500000	127500000

( दो करोड़ पच्चीस लाख रु० )

सरकार के विशेष सचिव